

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवार्थे,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 31 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदानों में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत मतदेय पक्ष में प्राविधानित बजट में से समस्त संलग्न के कॉलम-ग में अंकित आवंटित धनराशि ₹0 21788/-हजार (₹0 दो करोड़ सत्रह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) एवं धनराशि ₹0 7333/-हजार (₹0 तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि ₹0 29121/-हजार (₹0 दो करोड़ इक्यान्वे लाख इक्कीस हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी। और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित की जायेगी।
- iii. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं /अथवा अत्यधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाय।
- iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा का ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही प्रनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- v. उक्त स्वीकृति में मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा मानक मद-42 अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्र पोषित योजनाओं को छोड़कर) हेतु स्वीकृत धनराशि के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग/बजट नियन्त्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किशत को प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- vi. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने

के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

- vii. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश के समस्त प्राविधानों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)2012, दिनांक 28.03.2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि


भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

संख्या: 233(1)/XXVI/एक(4)/2017 - तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,


(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

अ-मतदेय पक्ष

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र. सं०	अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2017-18			
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्थे- 092-अन्य कार्यालय- 03-नियोजन अधिष्ठान		बजट प्राविधान	शासन से प्राप्त बजट (01 अप्रैल, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक लेखानुदान से जारी स्वीकृति	अवशेष बजट
		क	ख		ग
1	01-वेतन	24941	12471	12470	
2	02-मजदूरी	10	3	7	
3	03-महगाई भत्ता	1496	749	747	
4	04-यात्रा व्यय	200	67	133	
5	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	20	7	13	
6	06-अन्य भत्ते	1746	582	1164	
7	07-मानदेय	600	200	400	
8	08-कार्यालय व्यय	300	100	200	
9	09 विद्युत देय	01	0	0	
10	10- जलकर/जलप्रभार	01	0	0	
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100	33	67	
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60	20	40	
13	13-टेलीफोन पर व्यय	150	50	100	
14	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	33	567	
15	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7500	2500	5000	
16	17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1	0	0	
17	18-प्रकाशन	50	17	33	
18	19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	150	50	100	
19	22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	70	23	47	
20	26-मशीनें साज सज्जा उपकरण/ संयंत्र	150	50	100	
21	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300	100	200	
22	42-अन्य व्यय	150	50	100	
23	45-अवकाश यात्रा व्यय	50	17	33	
24	46-कम्प्यूटर हार्ड/ साफ्टवेयर का क्रय	100	33	67	
25	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	67	133	
26	51-महगाई वेतन	100	33	67	
		कुल योग:- 03	39046	17255	21788

दो करोड़ सत्रह लाख अट्ठासी हजार रुपये मात्र)

शासनादेश संख्या- 233/xxvi/एक(04)/2016, दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संलग्नक :-

तालिका-1

ब- मतदेय

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्थ-092- अन्य कार्यालय- 04-आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन		शासन से अनुमोदित/प्राप्त बजट (01 अप्रैल, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक लेखानुदान से जारी स्वीकृति	अवशेष बजट
	योजना का नाम/ मद नाम	बजट प्रावधान		
1	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 04-आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन	8000	2667	5333
2	99-पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3000	1000	2000
	कुल योग:- 04 एवं 99	11000	3667	7333

(तिहत्तर लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र)

mzw
[Signature]
[Stamp]